राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in,मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in,दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19/साप्र./रा.आ./458 दिनांक 19-04-2021

आदेश

गृह (ग्रुप–9) विभाग राज. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 दिनांक 18.04.2021 से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेज रफ्तार से प्रसार को देखतें हुये इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04.2021 (सोमवार) प्रातः 05.00 बजे से दिनांक 03.05.2021 (सोमवार) प्रातः 05.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश मे जन अनुशासन पखवाड़ा बाबत् आदेश/दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, सर्किट बैच– जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा तथा समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान के कार्यालय उक्त वर्णित अवधि मे **बन्द रहेगें** तथा इस संबंध मे निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

1. उक्त वर्णित दिनांकों को पेशी के लिये नियत समस्त प्रकरणों मे दैनिक वाद सूची की व्यवस्था अनुसार प्रत्येक दिन हेतु एक कॉमन तारीख पेशी दी जाकर उसको कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर कॉन्फोनेट वेबसाईट पर अपलोड़ किया जायेगा।
2. राज्य आयोग व इसकी सर्किट बैंच के कर्मचारीगण अपने मोबाईल नम्बर, निवास का पता रजिस्ट्रार, राज्य आयोग को उपलब्ध करायेगें तथा अपना मोबाईल हमेशा ऑन की स्थिति मे रखेगें एवं सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कियें बिना मुख्यालय परित्याग नहीं करेगें।
3. जिला आयोग के कर्मचारीगण भी अपने मोबाईल नम्बर, निवास का पता अध्यक्ष, जिला आयोग को उपलब्ध करायेगें तथा अपना मोबाईल हमेशा ऑन की स्थिति मे रखेगें एवं सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कियें बिना मुख्यालय परित्याग नहीं करेगें।
4. किसी भी कर्मचारी को आवश्यकता होने पर कार्यालय मे बुलाया जा सकेगा तथा शेष कर्मचारी निर्देशानुसार वर्क फ्रॉम होम करेगें।
5. राज्य आयोग के किसी अति आवश्यक प्रकरण की सुनवाई हेतु रजिस्ट्रार, राज्य आयोग (मोबाईल नं. 9694100100) या डिप्टी रजिस्ट्रार के (मोबाईल नं. 9829672813) पर सम्पर्क कर बैंच के गठन हेतु निवेदन किया जा सकेगा।
6. अध्यक्ष, जिला आयोग अपना मोबाईल नम्बर व रीड़र का मोबाईल नम्बर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगें तथा अति आवश्यक प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुयें सदस्यगण व कर्मचारीगण को निर्देशित करते हुयें प्रकरणों की सुनवाई कर सकेगें।
7. जिला आयोगों के अध्यक्षगण इस कार्यालय की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोड़ेगें। इसी प्रकार सदस्यगण अध्यक्ष की अनुमति के बिना मुख्यालय परित्याग नहीं करेगें।
8. कार्यालय मे उपस्थित होने की दशा में केन्द्र सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध मे समय–समय पर जारी गाईड लाईन्स की पालना सुनिश्चित करेगें।

19.4.21
(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :– एफ 19/साप्र./रा.आ./ 459-470 **दिनांक** 19.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर एवं कोटा। (जरिये ई–मेल से)
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान। (जरिये ई–मेल से)
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एसोसियेशन, (समस्त) राजस्थान द्वारा अध्यक्ष संबंधित जिला आयोग, राज.।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. संस्थापन शाखा, राज्य आयोग।
11. कॉजलिस्ट शाखा, राज्य आयोग।
12. नोटिस बोर्ड, राज्य आयोग।

19.4.21

(रजिस्ट्रार)